रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2003/27 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 18 जुलाई, 2003

संख्या वि० स०-लैज-गवरनमैंट बिल/1-77/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2003 (2003 का

विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 18 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव।

2003 का विधेयक संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 है।

(2) यह 24 मई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 4 का संशोधन।

1994 का 12

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4 में,—

(i) उप-धारा 3 में,—

(क) "और राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, पार्षद के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी ", शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "।" चिन्ह रखा जाएगा ; और

(ख) विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा ; और

(ii) उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3-क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, पार्षदों के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि व्यक्ति जिसने किसी नगर निगम का ठीक पूर्ववर्ती चुनाव लड़ा हो और हारा हो तो वह उस नगर निगम या किसी अन्य नगर निगम के पार्षद के रूप में, इसकी विद्यमान अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् इस उप-धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई पार्षद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारित करेगा, परन्तु इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में यथा उपबन्धित निगम की अवधि से परे नहीं।

(3-ख) उप-धारा (3-क) में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट पार्षदों तथा आयुक्त को निगम की सभी बैठकों में उपस्थित होने तथा विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।" ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है । 2003 का 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4(3) यह उपबन्धित करती है कि सीधे निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों के अतिरिक्त, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन से अनधिक व्यक्तियों को भी पार्षद के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी। तद्नुसार, तत्कालीन राज्य सरकार ने विभिन्न व्यक्तियों को नगर निगम में नामनिर्दिष्ट पार्षदों के रूप में नामनिर्देशित किया था।

नई सरकार के गठन के साथ जन साधारण से पूर्व नामनिर्देशनों पर पुनः विचार करने और उनके स्थान पर नए व्यक्ति नामनिर्देशित किए जाने की मांग उठ रही थी क्योंकि विद्यमान नामनिर्दिष्ट पार्षद वर्तमान सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में सहयोग नहीं कर रहे थे और नगर निगम के निर्बाध कार्य में भी बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे।

यद्यपि, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के उपबन्ध नामनिर्दिष्ट पार्षदों की अवधि के बारे में अनुच्चरित है तथापि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 के अनुसार नगर निगम का कार्यकाल इसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष के लिए है अर्थात् चुने गए पार्षदों के साथ-साथ नामनिर्दिष्ट पार्षदों का कार्यकाल नगर निगम के कार्यकाल के साथ सहविस्तारी (को-टर्मीनस) है। विधि के उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसार पूर्व में नामनिर्दिष्ट पार्षदों को बदलना विधिक रूप से कठिन हो गया था। अतः यह विनिश्चिय किया गया था कि नामनिर्दिष्ट पार्षदों को राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करना चाहिए। यह भी विनिश्चय किया गया था कि व्यक्ति जिन्होंने किसी नगर निगम का चुनाव लड़ा है और हारा है, वे पार्षद के रूप में नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में तुरन्त संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक 3) को 24 मई, 2003 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे 24 मई, 2003 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। उपर्युक्त अध्यादेश को आंशिक उपान्तरणों के साथ, नियमित अधिनियमिति द्वारा उस विस्तार तक प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है कि केवल वही व्यक्ति, उस नगर निगम या किसी अन्य नगर निगम के पार्षद के रूप में, इसकी विद्यमान अवधि के दौरान नामनिर्दिष्ट किए जाने से विवर्जित होंगे, जिन्होंने किसी निगम का ठीक पूर्ववर्ती चुनाव लड़ा हो और हारा हो।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपान्तरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला:
तारीख..... 2003.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2003

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

जे0 एल0 गुप्ता,
सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख ..... 2003.

Bill No. 6 of 2003.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (*Act No.* 12 *of* 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 24th day of May, 2003.

Amendment of section 4.

12 of 1994

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994,—

(*i*) in sub-section (3),—

(*a*) for the words and signs "and the State Government may, by notification, also nominate as Councillors, not more than three persons having special knowledge or experience of Municipal Administration:", the sign "." shall be substituted; and

(*b*) the existing proviso shall be deleted ; and

(*ii*) after sub-section (3), the following new sub-sections shall be inserted, namely;—

"(3-A) The State Government may, by notification, nominate as Councillors not more than three persons having special knowledge or experience of municipal administration:

Provided that a person who contested and lost the immediately preceding election of any Corporation shall not be nominated by the State Government as a Councillor of that Corporation or any other corporation during its existing term :

Provided further that a Councillor nominated under this sub-section whether before or after the commencement of the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003 shall hold office during the pleasure of the State Government, but not beyond the term of Corporation as provided for in sub-section (1) of section 5 of this Act.

(3-B) The nominated Councillors referred to in sub-section (3-A) and the Commissioner shall have the right to attend all the meetings of the Corporation and to take part in the discussion therein but shall not have any right to vote.".

Repeal and saving.

3. (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed. 3 of 2003

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4(3) of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 provides that in addition to the persons chosen by direct election, the State Government may, by notification, also nominate as Councilors not more than three persons having special knowledge or experience of municipal administration. Accordingly, the then State Government had nominated different public persons as nominated Councilors in the Municipal Corporation.

With the formation of the Government, demands were pouring in from the public to reconsider the earlier nominations and to nominate fresh public persons in place of them as the existing nominated Councilors were not co-operating in the implementation of the policies of the present Government and also creating hurdles in smooth working of Municipal Corporation.

Although the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 are silent about the term of the nominated Councilors yet as per section 5 of the Act *ibid*, the duration of the Corporation is for five years from the date appointed for its first meeting, meaning thereby that the term of the elected as well as nominated Councilors is co-terminus with the term of the Corporation. It had become legally difficult to replace the earlier nominated Councilors in the public interest as per the above provisions of law. Hence it was decided that the nominated Councilors should hold office during the pleasure of the State Government. It was also decided that a person who contested and lost the election of any Corporation shall not be eligible for nomination as a Councilor. This had necessitated the amendments in the Act *ibid.*

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2003 (Ordinance No. 3 of 2003) on the 24th day of May, 2003 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on date 24th day of May, 2003. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment with minor modifications to the extent that only such persons shall be debarred, who contested and lost the immediately preceding election of a Corporation, from being nominated as a Councilor of that Corporation or any other Corporation during its existing term.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with modifications.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA 1
Date.....

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2003

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 *of* 1994).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

J. L. GUPTA,
Secretary (*Law*).

SHIMLA :
The.....2003.

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।